

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5363 /

जबलपुर, दिनांक 05 / 12 / 2020

दो-14-22 / 2008

श्री अरविन्द कुमार बारमाटे, जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को उनके पुत्र श्रेयश बारमाटे की प्रोजेरिया बीमारी की क्लिनिकल जाँच हेतु द्वितीय बार अमेरिका के बोस्टन शहर में प्रोजेरिया रिसर्च फाउण्डेशन जाने हेतु दिनांक 02.12.2020 से 18.12.2020 तक 17 दिन का अर्जित अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यालय में उपस्थित होने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / --

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/5364 /

जबलपुर, दिनांक 05 / 12 / 2020

दो-14-22 / 2008

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अरविन्द कुमार बारमाटे, जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मनीज कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)